

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि०सि०(मुज०)-06-05/2022

50

पटना, दिनांक- 31-05-2023

आदेश

श्री ओम प्रकाश (आई०डी०-जे 10566), तत० कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की पत्नी के आत्महत्या कर लेने के कारण, श्री प्रकाश, कनीय अभियंता दिनांक 15.04.2023 की शाम से काजी मोहम्मदपुर थाना के हिरासत में हैं।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश को पुलिस हिरासत में लिये जाने की तिथि 15.04.2023 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री ओम प्रकाश (आई०डी०-जे 10566), तत० कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह०/-
(राशिद कलीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

888

/ पटना, दिनांक-

31-05-2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई०टी०) आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8, 9, 12 एवं 22, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव